



Neutral Citation No.-2026:AHC:10445

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-45916 वर्ष 2025

अरिदमन सिंह आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: भावेश सिंह जादौन

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. श्री वी.पी. श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भावेश सिंह जादौन, आवेदक के अधिवक्ता और श्री सुनील कुमार, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
3. आवेदक ने 2020 के अपराध संख्या-425, भ०द०वि० की धारा 34, 120-बी, 147, 148, 149, 302, 307 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7, थाना-चकेरी, जिला: कानपुर नगर में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह के सह-आरोपी व्यक्ति, दीनू उपाध्याय @ धीरज कुमार उपाध्याय को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 2025 के आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-25629 में पारित दिनांक 19.9.2025 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि आवेदक का मामला सह-अभियुक्त के बराबर है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
5. अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक को सौंपे गए आपराधिक इतिहास को हलफनामे में समझाया गया है। आवेदक 26.8.2025 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

6. ज़मानत के लिए प्रार्थना का अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा पुरजोर विरोध किया गया है। हालांकि, सह-आरोपी के साथ समानता के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलू पर उसके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

7. प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2020) 11 एस.सी.सी. 648 के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि एक आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में ज़मानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, लंबित मुकदमे और इस न्यायालय द्वारा नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 क्रि०एल०जे० 938 में पारित निर्णय और पारस राम विश्नोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/एससीOR/22410/2021 के साथ-साथ सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2022) 10 एस.सी.सी. 51 के मामले में पारित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक इस मामले में ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है। ज़मानत आवेदन को समानता के आधार पर अनुमति दी जाती है।

9. आवेदक- अरिदमन सिंह, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

i) आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 16, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)